पत्रांक 4705 आयु0रा0क0उत्तरा0 / रा0क0 / विधि–अनु0 / मुख्यालय / 2017–18 / दे0दून।

कार्यालयः–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड,
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः:दिनांकः:: 02 जनवरी, 2018

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
राज्य कर, उत्तराखण्ड।

अधिसूचना संख्या **1000** / 2017 / 146(120) / XXVII(8) / 2008 दिनांक 29.12.2017 एवं **1001** / 2017 / 146(120) / XXVII(8) / 2008 दिनांक 29.12.2017 द्वारा संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III की क्रम संख्या 3(क) एवं 5(क) पर अंकित डीज़ल ऑयल एवं प्राकृतिक गैस पर, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत कराधेय माल के विनिर्माण करने वाली इकाईयों को, कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया के विरूद्ध बिक्री करने पर 5 प्रतिशत की दर से कर देय होने का प्राविधान किया गया है। इस विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार इस निमित्त फार्म–डी निर्धारित किया जाता है।

फार्म–डी के रख–रखाव एवं प्रयोग की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

1. फार्म–डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जाएगा जिसका क्रमांक अनिवार्यतः प्रिन्टेड होगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमांक 0001 से प्रारम्भ होकर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जाएगा।
4. मूल / द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी की जायेगी।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जाएगा।
6. मूल प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जाएगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए–4 में फार्म–डी प्रिन्ट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पच्चीस फार्म की होगी। उक्त फार्म–डी में ''क्रेता का नाम व पता'' तथा ''जी0एस0टी0आई0एन0'' प्रिन्टेड होगा।
9. फार्म–डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल / द्वितीय प्रति प्रमाणीकृत करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म–डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जाएगा तथा एक प्रति कर–निर्धारण प्राधिकारी को अगले फार्म–डी पर प्रमाणीकृत कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी। फार्म–डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किए जायेंगे तथा दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करते हुए नाम / पदनाम की मोहर लगायी जायेगी।
11. एक फार्म–डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ या अधिक वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार / भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार / भारत सरकार के उपक्रम / निगम / कंपनी के लिये उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. ऐसी विनिर्माता इकाईयाँ, जिनके द्वारा डीजल ऑयल का प्रयोग ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु किया जाता है, के द्वारा प्रथम बार फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने के समय गत वर्ष 2016–17 में ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु प्रयुक्त डीजल के कुल उपभोग का विवरण तथा विनिर्माण हेतु प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता की उद्घोषणा सम्बन्धी प्रमाण पत्र कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं यदि तत्सम्बन्धी क्षमता में कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के 03 कार्य दिवसों के भीतर सूचना सम्बन्धित कर–निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

क्रमशः पेज ::2:: पर

13. बिन्दु संख्या 13 में विहित विनिर्माता इकाईयों के द्वारा जनरेटर सम्बन्धी लॉगबुक रखने के अतिरिक्त निम्न प्रारूपानुसार विवरण भी रखा जायेगा :–

(मात्रा लीटर में)

डीजल ऑयल का आरम्भिक स्टॉक	डीजल ऑयल की खरीद	डीजल ऑयल की खपत	डीजल ऑयल का अवशेष स्टॉक

फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करते समय उक्त लॉगबुक तथा उपरोक्त प्रारूपानुसार विवरण कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित सम्यक् हस्ताक्षरित किया जायेगा।

14. फार्म–डी, फार्म–डी के प्रयोग के विवरण, प्रमाणीकरण हेतु प्रार्थना पत्र तथा प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम– 7(1) माल और सेवा कर अधिनियम/नियमावली, 2017 की धारा–116 एवं नियम–26 मे है।
15. यदि यह पाया जाता है कि किसी विनिर्माण इकाई द्वारा संदर्भित फार्म–डी का दुरूपयोग किया गया है तो उक्त इकाई को अधिसूचना संख्या **1000**/2017/146(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 एवं **1001**/ 2017/146(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधा अनुमन्य नहीं रहेगी।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 29.12.2017 से प्रभावी की गयी है। अतः फार्म–डी अर्ह इकाईयों द्वारा दिनांक 01.01.2018 से किये गये सम्व्यवहार के लिये जारी किया जायेगा।

आपको निर्देश दिये जाते है कि फार्म–डी के प्रारूप व इसके रख–रखाव के बारे में समस्त अधिकारियों के साथ–साथ आपके सम्भाग में कार्यरत समस्त व्यापारिक संघों, अधिवक्ता संघों को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा इसकी प्रतियाँ इन वस्तुओं का उपयोग करने वाली समस्त औद्योगिक इकाईयों को भी उपलब्ध करा दें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(सौजन्या)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0: 4705 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, उत्तराखण्ड।
2– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/हल्द्वानी।
3– श्रीमती नीलम ध्यानी, डिप्टी कमिश्नर, एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
4– विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर नाम व मुहर सहित

फार्म–डी

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

{उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–III के क्रमांक 3(क) एवं 5(क) देखें}

जी0एस0टी0 के अधीन करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त डीजल व प्राकृतिक गैस के लिये प्रमाण पत्र

(मूल प्रति– कर निर्धारण प्राधिकारी के लिये)

बुक संख्या..... क्रम संख्या.....

1	क्रेता का नाम व पता																										
2	जी0एस0टी0आई0एन0															प्रभावी तिथि											
3	करनिर्धारण वर्ष																										
4	माह का अंतिम दिनांक																										
5	विक्रेता का नाम व पता																										
6	जी0एस0टी0आई0एन0															प्रभावी तिथि											

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इनवॉइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

कुल योग शब्दों में	
कुल योग अंकों में	

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... प्रास्थिति..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही हैं।

स्थान –

तिथि –

मुहर –

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

नोट– फार्म के रख–रखाव/प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म–डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा जिसका कमांक अनिवार्यतः प्रिन्टेड होगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 0001 से प्रारंभ हो कर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
6. मूल प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए–4 साईज में फार्म प्रिंट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पच्चीस फार्म–डी की होगी। उक्त फार्म–डी में ''क्रेता का नाम व पता'' तथा ''जी0एस0टी0आई0एन0'' प्रिन्टेड होगा।
9. फार्म–डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल/द्वितीय प्रति प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म–डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जायेगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को अगले फार्म–डी पर प्रमाणीकरण कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फार्म–डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत करते हुए दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगाई जायेगी।
11. एक फार्म–डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. ऐसी विनिर्माता इकाईयाँ, जिनके द्वारा डीजल ऑयल का प्रयोग ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु किया जाता है, के द्वारा प्रथम बार फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने के समय गत वर्ष 2016–17 में ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु प्रयुक्त डीजल के कुल उपभोग का विवरण तथा विनिर्माण हेतु प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता की उद्घोषणा सम्बन्धी प्रमाण पत्र कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं यदि तत्सम्बन्धी क्षमता में कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के 03 कार्य दिवसों के भीतर सूचना सम्बन्धित कर–निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

13. बिन्दु संख्या 13 में विहित विनिर्माता इकाईयों के द्वारा जनरेटर सम्बन्धी लॉगबुक रखने के अतिरिक्त निम्न प्रारूपानुसार विवरण भी रखा जायेगा :–

(मात्रा लीटर में)

डीजल ऑयल का आरम्भिक स्टॉक	डीजल ऑयल की खरीद	डीजल ऑयल की खपत	डीजल ऑयल का अवशेष स्टॉक

फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करते समय उक्त लॉगबुक तथा उपरोक्त प्रारूपानुसार विवरण कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित सम्यक् हस्ताक्षरित किया जायेगा।

14. फार्म–डी, फार्म–डी के प्रयोग के विवरण, प्रमाणीकरण हेतु प्रार्थना पत्र तथा प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता संबंधी प्रमाणपत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–7(1), उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली–2017 की धारा–116 एवं नियम–26 में है।

15. यदि यह पाया जाता है कि किसी विनिर्माण इकाई द्वारा संदर्भित फार्म–डी का दुरूपयोग किया गया है तो उक्त इकाई को अधिसूचना संख्या 1000/2017/146(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 एवं 1001/ 2017/146(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधा अनुमन्य नहीं रहेगी।

पृष्ठ भाग

सेल/टैक्स इनवॉइस के विरूद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0 सं0	सेल/टैक्स इनवॉइस संख्या	सेल/टैक्स इनवॉइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवॉइस की कुल धनराशि
			नाम	कोड़	मात्रा/माप			

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता
तिथि

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर नाम व मुहर सहित

फार्म–डी

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

{उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–III के क्रमांक 3(क) एवं 5(क) देखें}

जी0एस0टी0 के अधीन करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त डीजल व प्राकृतिक गैस के लिये प्रमाण पत्र

(द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी के लिये)

बुक संख्या..... क्रम संख्या.....

1	क्रेता का नाम व पता																										
2	जी0एस0टी0आई0एन0															प्रभावी तिथि											
3	करनिर्धारण वर्ष																										
4	माह का अंतिम दिनांक																										
5	विक्रेता का नाम व पता																										
6	जी0एस0टी0आई0एन0															प्रभावी तिथि											

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इनवॉइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

कुल योग शब्दों में	
कुल योग अंकों में	

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... प्रास्थिति..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थान –
तिथि –
मुहर –

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

नोट– फार्म के रख–रखाव/प्रयोग की प्रक्रिया

2. फार्म–डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा जिसका कमांक अनिवार्यतः प्रिन्टेड होगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 0001 से प्रारंभ हो कर क्रमागत रहेगा।
3. यहं प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
6. मूल प्रति बिक्रेता व्यापारी द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए–4 साईज में फार्म प्रिंट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पच्चीस फार्म–डी की होगी। उक्त फार्म–डी में "क्रेता का नाम व पता" तथा "जी0एस0टी0आई0एन0" प्रिन्टेड होगा।
9. फार्म–डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल/द्वितीय प्रति प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म–डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जायेगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को अगले फार्म–डी पर प्रमाणीकरण कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फार्म–डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत करते हुए दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगाई जायेगी।
11. एक फार्म–डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. ऐसी विनिर्माता इकाईयाँ, जिनके द्वारा डीजल ऑयल का प्रयोग ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु किया जाता है, के द्वारा प्रथम बार फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने के समय गत वर्ष 2016–17 में ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु प्रयुक्त डीजल के कुल उपभोग का विवरण तथा विनिर्माण हेतु प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता की उद्घोषणा सम्बन्धी प्रमाण पत्र कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं यदि तत्सम्बन्धी क्षमता में कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के 03 कार्य दिवसों के भीतर सूचना सम्बन्धित कर–निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

13. बिन्दु संख्या 13 में विहित विनिर्माता इकाईयों के द्वारा जनरेटर सम्बन्धी लॉगबुक रखने के अतिरिक्त निम्न प्रारूपानुसार विवरण भी रखा जायेगा :–

(मात्रा लीटर में)

डीजल ऑयल का आरम्भिक स्टॉक	डीजल ऑयल की खरीद	डीजल ऑयल की खपत	डीजल ऑयल का अवशेष स्टॉक

फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करते समय उक्त लॉगबुक तथा उपरोक्त प्रारूपानुसार विवरण कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित सम्यक् हस्ताक्षरित किया जायेगा।

14. फार्म–डी, फार्म–डी के प्रयोग के विवरण, प्रमाणीकरण हेतु प्रार्थना पत्र तथा प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता संबंधी प्रमाणपत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–7(1), उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली–2017 की धारा–116 एवं नियम–26 में है।

15. यदि यह पाया जाता है कि किसी विनिर्माण इकाई द्वारा संदर्भित फार्म–डी का दुरूपयोग किया गया है तो उक्त इकाई को अधिसूचना संख्या 1000/2017/146(120)/xxvii(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 एवं 1001/ 2017/146(120)/xxvii(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधा अनुमन्य नहीं रहेगी।

पृष्ठ भाग

सेल/टैक्स इनवॉइस के विरूद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0 सं0	सेल/टैक्स इनवॉइस संख्या	सेल/टैक्स इनवॉइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवॉइस की कुल धनराशि
			नाम	कोड़	मात्रा/माप			

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

तिथि

फार्म–डी

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

{उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–III के क्रमांक 3(क) एवं 5(क) देखें}

जी0एस0टी0 के अधीन करयोग्य वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त डीजल व प्राकृतिक गैस के लिये प्रमाण पत्र

(प्रतिपर्ण– क्रेता व्यापारी के लिये)

बुक संख्या..... क्रम संख्या.....

1	क्रेता का नाम व पता																										
2	जी0एस0टी0आई0एन0															प्रभावी तिथि											
3	करनिर्धारण वर्ष																										
4	माह का अंतिम दिनांक																										
5	विक्रेता का नाम व पता																										
6	जी0एस0टी0आई0एन0															प्रभावी तिथि											

खरीद का विवरण

क्र0सं0	माह का नाम	वस्तुओं का नाम	माप/मात्रा	सेल/टैक्स इनवॉइस की धनराशि	कर की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7

कुल योग शब्दों में	
कुल योग अंकों में	

घोषणा

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... प्रास्थिति..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर तथा इस प्रमाण पत्र के पृष्ठ भाग में दी गयी सूचनाएँ मेरी सर्वोच्च जानकारी के अनुसार पूर्ण व सही है।

स्थान –
तिथि –
मुहर –

हस्ताक्षर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

नोट– फार्म के रख–रखाव/प्रयोग की प्रक्रिया

1. फार्म–डी व्यापारी द्वारा क्रमांकित बाईण्डेड बुक में रखा जायेगा जिसका कमांक अनिवार्यतः प्रिन्टेड होगा।
2. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये क्रमांक 0001 से प्रारंभ हो कर क्रमागत रहेगा।
3. यह प्रमाण पत्र तीन प्रतियों (मूल, द्वितीय एवं प्रतिपर्ण) में रखा जायेगा।
4. मूल/द्वितीय प्रति विक्रेता को खरीद करते समय क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया जायेगा।
5. प्रतिपर्ण क्रेता व्यापारी द्वारा स्वयं अपने पास रखा जायेगा।
6. मूल प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा कर निर्धारक प्राधिकारी को वार्षिक नक्शा दाखिल करते समय बिक्री की सूची के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
7. द्वितीय प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने पास रखी जायेगी।
8. उत्पादक व्यापारी स्वयं ही ए–4 साईज में फार्म प्रिंट करवाएगा और उसे बुकलेट के रूप में रखेगा व एक बुकलेट न्यूनतम पच्चीस फार्म–डी की होगी। उक्त फार्म–डी में "क्रेता का नाम व पता" तथा "जी0एस0टी0आई0एन0" प्रिन्टेड होगा।
9. फार्म–डी जारी करने से पूर्व कर निर्धारक प्राधिकारी से मूल/द्वितीय प्रति प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
10. प्रयुक्त फार्म–डी का विवरण संलग्न प्रारूप में व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में रखा जायेगा तथा एक प्रति करनिर्धारण अधिकारी को अगले फार्म–डी पर प्रमाणीकरण कराने के पूर्व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फार्म–डी करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत करते हुए दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर किये जायेंगे व नाम/पदनाम की मोहर लगाई जायेगी।
11. एक फार्म–डी में अधिकतम एक माह के संव्यवहार का इंद्राज किया जा सकता है, जिसकी अधिकतम मौद्रिक सीमा रू0 25 लाख होगी परन्तु विगत वर्ष 25 करोड़ वार्षिक विक्रय धन वाले व्यापारी, राज्य सरकार/भारत सरकार के विभाग तथा राज्य सरकार/भारत सरकार के उपक्रम/निगम/कंपनी के लिए उपरोक्त मौद्रिक सीमा लागू नहीं होगी।
12. ऐसी विनिर्माता इकाईयाँ, जिनके द्वारा डीजल ऑयल का प्रयोग ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु किया जाता है, के द्वारा प्रथम बार फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करने के समय गत वर्ष 2016–17 में ईंधन के रूप में विनिर्माण हेतु प्रयुक्त डीजल के कुल उपभोग का विवरण तथा विनिर्माण हेतु प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता की उद्घोषणा सम्बन्धी प्रमाण पत्र कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं यदि तत्सम्बन्धी क्षमता में कोई भी परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के 03 कार्य दिवसों के भीतर सूचना सम्बन्धित कर–निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

13. बिन्दु संख्या 13 में विहित विनिर्माता इकाईयों के द्वारा जनरेटर सम्बन्धी लॉगबुक रखने के अतिरिक्त निम्न प्रारूपानुसार विवरण भी रखा जायेगा :–

(मात्रा लीटर में)

डीजल ऑयल का आरम्भिक स्टॉक	डीजल ऑयल की खरीद	डीजल ऑयल की खपत	डीजल ऑयल का अवशेष स्टॉक

फार्म–डी प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करते समय उक्त लॉगबुक तथा उपरोक्त प्रारूपानुसार विवरण कर–निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसे कर–निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अपनी मोहर लगाते हुए दिनांक सहित सम्यक् हस्ताक्षरित किया जायेगा।

14. फार्म–डी, फार्म–डी के प्रयोग के विवरण, प्रमाणीकरण हेतु प्रार्थना पत्र तथा प्रयुक्त जनरेटर की क्षमता संबंधी प्रमाणपत्र पर केवल वही व्यक्ति हस्ताक्षर करेंगे जिनका उल्लेख उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–7(1), उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली–2017 की धारा–116 एवं नियम–26 में है।

15. यदि यह पाया जाता है कि किसी विनिर्माण इकाई द्वारा संदर्भित फार्म–डी का दुरूपयोग किया गया है तो उक्त इकाई को अधिसूचना संख्या 1000/2017/146(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 एवं 1001/ 2017/146(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 29.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधा अनुमन्य नहीं रहेगी।

पृष्ठ भाग

सेल/टैक्स इनवॉइस के विरूद्ध की गयी खरीद की सूची

क्र0 सं0	सेल/टैक्स इनवॉइस संख्या	सेल/टैक्स इनवॉइस की तिथि	वस्तुओं का विवरण			वस्तुओं का करयोग्य मूल्य	वसूले गये कर की राशि	इनवॉइस की कुल धनराशि
			नाम	कोड़	मात्रा/माप			

हस्ताक्षर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता

तिथि